गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, भारत
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट./2021

11 जनवरी, 2021

1) प्रबंधक, लिस्टिंग अनुपालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं.सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला-कॉम्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051 **स्क्रिप कोड : गेल-ईक्यू**	2) प्रबंधक, लिस्टिंग अनुपालन बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरज़ जीजीभॉ टावर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई-400 001 **स्क्रिप कोड : 532155**

विषय: 15 जनवरी, 2021 को गेल (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल की बैठक की पूर्व सूचना

प्रिय महोदय,

यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 29 तथा कानून के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 15 जनवरी, 2021** को आयोजित की जाएगी जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा:

1. प्रत्येक रु.10/- के अंकित मूल्य के कंपनी के पूर्ण प्रदत्त इक्विट शेयरों का प्रतिक्रय;

2. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की घोषणा

इसके अलावा, 1 अप्रैल, 2020 से वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में, लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया गया है और शेयरधारकों की लाभांश आय कर योग्य है । इस संबंध में, कृपया संलग्न ई-मेल देखें, जो कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा जा रहा है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉज़िटरी के साथ पंजीकृत है, इसमें स्रोत पर शून्यकम कर कटौती के लिए / आवश्यक रूपों सहित निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर टीडीएस पर प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। यह सूचना कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जा रही है:

सीआईएन/CIN
L40200DL1984GOI018976
www.gailonline.com

गेल वेबसाइट → निवेशक ज़ोन → निवेशक की जानकारी → निवेशक गाइड → लाभांश पर टीडीएस (www.gailonline.com)

p

यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015 के अनुसार बनाए गए अंतरंग-अंतरंग व्यापार संहिता द्वारा कंपनी की आचार संहिता का विनियमन, निगरानी और रिपोर्ट करने के संदर्भ में - प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो पहले से ही 01.01.2021 से बंद है जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज को कंपनी के दिनांक 30.12.2020 के पत्र सं.एनडी/गेल/सेक्ट./2020 को सूचित किया गया है और यह बोर्ड की बैठक के समाप्त होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा, जिसमें 31.12.2020 को समाप्त तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट कर लें।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते **गेल (इंडिया) लिमिटेड**

(ए.के. झा)
कंपनी सचिव
संलग्नक : उपरोक्तानुसार

गेल (इंडिया) लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :16, भिकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066
{सीआईएन: L40200DL1984GOI018976}
दूरभाष: 011-26182955, **फैक्स:** 011-26185941

शेयरधारक का नाम
प्रिय शेयरधारक,

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में सूचना/संचार

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') के यथा संशोधित प्रावधानों तथा 1 अप्रैल, 2020 से लागू वित्त अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश उनके शेयरधारकों को प्राप्त हाने पर कर योग्य है, और तदनुसार कंपनी को लागू दरों पर स्रोत पर कर में कटौती करना आवश्यक है । (टीडीएस)

तथापि, किसी निवासी को व्यक्तिगत रूप से देय लाभांश पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा यदि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कुल लाभांश 5,000 रुपए से अधिक न हो।

उपर्युक्त को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में, कंपनी लाभांश का भुगतान करते समय टीटीडीएस दरों के अनुसार टीडीएस की कटौती करेगी। निवासी शेयरधारकों के मामले में, वर्तमान में टीडीएस के लिए निर्धारित दर वैध स्थायी खाता संख्या के साथ (पैन) **निवासी शेयरधारकों** के लिए 7.5% है, जो बिना पैन या अवैध पैन रखने वाले निवासी शेयरधारकों के लिए 20% है। इसलिए, यदि शेयर डीमैट फॉर्म में हैं, और यदि शेयर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास भौतिक रूप में हैं, तो शेयरधारकों को डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपने पैन को अद्यतन करने की सलाह दी जाती है।

अधिनियम की धारा 196घ के अंतर्गत विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई") और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकओं ("एफपीआई") को भुगतान किए जाने वाले लाभांश पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती (लागू अधिभार और उपकर सहित) की जाएगी।

इसके अलावा, शेयरधारकों के पास कंपनी को टीडीएस की कटौती न करने या निम्नानुसार निर्धारित कंपनी को आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके कम दर पर टीडीएस की कटौती के लिए आवेदन करने का विकल्प है :

निवासी शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारकों की श्रेणी	**अपेक्षित दस्तावेज**
म्यूचुअल फंड्स	पैन कार्ड और पंजीकरण प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रति दस्तावेजी साक्ष्य कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 196 के प्रावधानों के अंतर्गत कवर है।
बीमा कंपनियां	यह स्व-घोषणा कि उसके पास पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और आईआरडीएआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणीकरण की प्रतिसहित स्वामित्व शेयरों के पूर्ण लाभकारी हित हैं ।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	यह स्व-घोषणा कि वह दिनांक 25 जून 2015 की अधिसूचना सं.51/2015 के तहत कवर है और वह स्व-सत्यापित पैन कार्ड की प्रतिलिपि और सेबी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित सेबी के विनियमों के अंतर्गत श्रेणी-I या श्रेणी-II एआईएफ के रूप में स्थापित है।
सरकार (केंद्रीय/राज्य)	यह दस्तावेजी साक्ष्य कि व्यक्ति अधिनियम की धारा 196 के तहत कवर है।
टीडीएस से छूट पाने की पात्र अन्य कोई संस्था	टीडीएस छूट की पात्र संस्था द्वारा इसके समर्थन में वैध स्व-प्रमाणित (जैसे पजीकरण, अधिसूचना, आदेश आदि की प्रासंगिक प्रतिलिपि) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना।
अन्य निवासी शेयरधारक	• स्व-सत्यापित पैन की प्रति सहित विधिवत सत्यापित फॉर्म 15छ या फॉर्म 15ज । फॉर्म 15छ और 15ज की रिक्त प्रतिलिपि सरकारी वेबसाइट पर होस्ट की गई है। • अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र। (इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टैन - DELG11331F)

अनिवासी शेयरधारक जो दोहरा कर बचाव ('डीटीएए') के तहत निर्धारित दरों का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

<u>गैर-निवासी शेयरधारियों के लिए:</u>

शेयरधारकों की श्रेणी	**अपेक्षित दस्तावेज**
एफपीआई और एफआईआई	डिपॉजिटरी के साथ पैन तथा अधिनियम के अनुसार संस्था की कानूनी स्थिति को अद्यतन /सत्यापित करें, यदि पहले ऐसा नहीं किया गया है। यह घोषणा प्रदान करें कि क्या शेयरों में निवेश सामान्य एफडीआई मार्ग या एफपीआई मार्ग के तहत किया गया है। घोषणा प्रारूप इस सूचना के अंत में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
कोई भी संस्था टीडीएस से छूट पाने की पात्र है	टीडीएस से छूट पाने की पात्र संस्था को इसके समर्थन में वैध स्व-प्रमाणित (जैसे भारतीय कर प्राधिकरणों द्वारा पंजीकरण, अधिसूचना, आदेश आदि की प्रासंगिक प्रति) दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना ।
अन्य अनिवासी शेयरधारक	अधिनियम की धारा 90 के अनुसार, अनिवासी शेयरधारक के पास भारत और देश के कर निवासी शेयरधारक के बीच दोहरा कर बचाव संधि के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होने का विकल्प है, यदि वे उनके लिए अधिक लाभदायक हैं। इस प्रयोजन के लिए, अर्थात् कर संधि का लाभ लेने के लिए, अनिवासी शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रदान करना होगा: • भारतीय आयकर प्राधिकारियों द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति, यदि कोई हो; • देश के कर प्राधिकारियों से प्राप्त वैध कर निवासी प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित

	प्रति, जिसमें शेयरधारक निवासी है; • फॉर्म 10च में स्व-घोषणा
	अनिवासी द्वारा स्व-घोषणा, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हो: • अनिवासी संबंधित कर संधि के लाभ का दावा करने के लिए पात्र है; • लाभांश आय प्राप्त करने वाला अनिवासी ऐसी आय का लाभकारी स्वामी होता है; • लाभांश आय भारत में किसी भी स्थायी प्रतिष्ठान (पीई) या फिक्स्ड बेस के कारण/प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है; • अनिवासी संबंधित कर संधि में निर्धारित किसी अन्य शर्त और बहुपक्षीय साधन ('एमएलआई') के तहत प्रावधानों का अनुपालन करता है; • अनिवासी भारत में प्रभावी प्रबंधन नहीं कर सकता है। टीडीएस के लिए कर संधि की लाभकारी दर का लागू होना कंपनी के विवेक पर है और यह कंपनी द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने और उनकी समीक्षा के पूर्ण होने पर निर्भर करेगा।

अनिवासी शेयरधारक भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 195/197 (इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले टैन DELG11331F) के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

ऊपर उल्लिखित दस्तावेज विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय (या ई-मेल shareholders@gaii.co.in) पर या हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (पता: एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट: गेल (इंडिया) लिमिटेड, प्रथम तल, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-I, नई दिल्ली-110020 या ईमेल admin@mcsregistrars.com) को अपना नाम, फोलियो सं. / डीमैट खाता सं. (डीपी एवं क्लाइंट आईडी दोनों), शेयरों की संख्या और पैन विवरण का उल्लेख करते हुए **वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 29 जनवरी, 2021** तक या उससे पहले भेजे जाने होंगे ताकि कंपनी उपयुक्त टीडीएस की कटौती कर/रोक सके।

इसलिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में, हमें निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश पर टीडीएस की कटौती करने में सक्षम करने के लिए, उपर्युक्त दस्तावेजों को **29 जनवरी, 2021 को या उससे पहले** प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के बाद घोषित लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती करने संबंधी किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में सभी संचार/प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए और हमारे आरटीए को ऊपर दिए गए ई-मेल पते पर भेजा जाना चाहिए।

शेयरधारक यह नोट करें कि यदि आपके द्वारा ऊपर उल्लिखित विवरणों/दस्तावेजों के प्राप्त न होने या अधूरे होने पर उच्च दर पर कर काटा जाता है, तो आपके पास आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार पात्रता होने पर उपयुक्त रिफंड का दावा करने के लिए आय विवरणी दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध है।

शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश में से लाभंश का भुगतान करने के बाद कर की कटौती की राशि जानने के लिए, टीडीएस प्रमाण-पत्र कंपनी की वेबसाइट पर यथा समय निम्नलिखित लिंक द्वारा उपलब्ध होगा: **गेल वेबसाइट → निवेशक जोन → निवेशक सूचना → निवेशक गाइड → लाभांश पर टीडीएस**। इसके अलावा, कर की कटौती की राशि को जानने के लिए शेयरधारक https://incometaxindiaefiling.gov.in पर अपने ई-फाइलिंग खातों से फॉर्म 26एएस की भी जांच कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते गेल इंडिया लिमिटेड

(ए.के. झा)

कंपनी सचिव

अस्वीकरण: उपर्युक्त जानकारी की कोई कर या विधि सलाह नहीं है। कर प्रभाव की व्यक्तिगत प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह अपने निजी कर सलाहकारों के साथ विशिष्ट वित्तीय प्रभाव के संबंध में परामर्श करे।